यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के माह 11/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 01/11/2017 से 08/11/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन. यादव व अ मत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 05/11/2016 से 23/11/2016 तक श्री वी. एस. पंवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 10/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद टिहरी के वधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा चांठी भारी वाहन सेतु का निर्माण कार्य।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15			185.44	131.15	259.45	184.47	-	98.98
2015-16			163.87	161.44	1397.93	1350.62	-	55.56
2016-17			121.32	88.67	4119.01	4097.35	-	54.31
2017-18 अब तक			160.04	122.09	1674.81	1582.02	-	130.74

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .....का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 09/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - (-) 464794/-

   भाग द् वतीय - ₹ शून्य

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में
   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 993360.20/-
   (ख) सामग्री क्रय – शून्य
   (ग) नगद परिशोधन - शून्य
   (घ) निक्षेप- ₹ 10497411/-
   (ङ) भण्डार- ₹ 414915/-

भाग-2 'अ'

प्रस्तर 1:- अप्रयुक्त सामग्रीका निस्तारण न कये जाने से `24.49 करोड़ का अवरोधन

टिहरी बांध जलाशय के ऊपर ग्राम डोबरा के निकटभागीरथी घाटी मे डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुल सेतु (396 मीटर झूला पुल सेतु +एप्रोच ब्रिज136मीटर) कुल 532मीटर के निर्माण कार्य हेतु `89.20 करोड़ की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासना देश संख्या 2042/ II -2006-12/ 1(11)05 दिनांक 14-4-2006 के अनुसार प्रदान की गयी थी ले कन प्रस्ता वत झूला पुल के एबटमनेट पर निर्धारित गहराई तक कठोर चट्टान न पाये जाने के कारण मुख्य झूला पुल का स्पान व एप्रोच ब्रिज को परिवर्तित कर (440 मीटर झूला पुल सेतु +एप्रोच ब्रिज 320मीटर)कुल 760 मीटर करने का निर्णय लया गया जिसकी निर्माण कार्य हेतु लागत `128.53 करोड़ की पुनरी क्षत प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2929/ II - 2008-12/(11) I/05 दिनांक 08-12-2008 के अनुसार प्रदान की गयी थी।अनुबन्ध के अनुसार स्टीफनिंग ट्रस ला चंग/ इर्रेक्शन की स्कीम प्राप्त न होने से व धन आवंटन की कमी के कारण इस अधूरे कार्य को बन्द (01/05/2014) कए जाने से पूर्व `139.80 करोड़ का व्यय कया गया था।

उपरोक्तअधूरे सेतु निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु शासन ने 21 अक्टूबर 2015 को `149.95 करोड़ की पुनः प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की तथाप्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता लोक निर्माण वभाग नई टिहरी 12/2015 को प्रदान की गई तत्पश्चात अधीक्षण अ भयन्ता 8 वृत ने 15/एस ई -08/2015-16 दिनांक 25-01-2016 के द्वारा अनुबंध अन्तराष्ट्रीय बि डंग से joint venture मे यो शन इंजीन्यरिंग कोरपोरेशन द क्षण कोरिया व वीकेएस इन्फ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट ल मटेड के साथ `135.01 करोड़ लागत का गठित कया उक्त अनुबंध के अनुसार अगस्त 2017 मे निर्माण कार्य समाप्त कया जाना था ले कन कार्य अभी भी अपूर्ण है जिस के लए ठेकेदार द्वारा समय वृद् ध मार्च 2018 तक मागी गई है।

खंड की पत्रावली की जाँच मे आगे पाया गया कअवशेष पड़ी सामग्री को उपयोग लाने हेतु पूर्व मे मुख्य अ भयन्ता स्तर-I लोक निर्माण वभाग द्वारा जुलाई 2016 को सभी क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ताओ को निर्देश दिये क वे जिस मोटर सेतु पर सूची के अनुसार 66 एमएम रस्सो आदि का प्रयोग करते हुए डज़ाइन/रि डज़ाइन करना सम्भव हो उस सेतु का ववरण तत्काल परियोजना क्रयावयन अ धकारी डोब्रा चाटी को उपलब्ध करावे। ले कन वगत एक वर्ष

बीतने के उपरांत भी अप्रयुक्त सामग्री `19.27 करोड़ एवं  वंड एंकर ब्लॉक लागत `5.22 करोड़ का उपयोग कसी भी अन्य सेतु पर नहीं कया जा सका है और यह सामग्री वर्ष 2008 से अभी तक कार्य स्थल पर ही पड़ी है जिससे अ धक समय से एक ही जगह पर रखे रहने से, वर्षा एवं धूप की वजह से खराब होने की सम्भावना है।

इस ओर इं गत कये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं कअवशेष सामग्री को अन्य पुल पर उपयोग कये जाने की संभावना हेतु प्रयास कये जा रहे हैं। तथा अवशेष सामग्री की नीलामी हेतु प्रकरण प्रमुख अ भयंता लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड देहारादून द्वारा शासन को प्रे षत कया गया हैं स्वीकृति अभी प्राप्त नही हुई हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं।

अतः कार्य पर अप्रयुक्त सामग्रीका निस्तारण न कये जाने से `24.49 करोड़ काअवरोधन का प्रकरणसंज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 1:- अवरुद्धधनरा श **`0.73** करोड़।

टिहरी बांध जलाशय के ऊपर ग्राम डोबरा के निकटभागीरथी घाटी मे डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुल सेतु पूर्व स्वीकृति लागत `128.53 करोड़ एवं अनुमानित लागत `154 करोड़ के सापेक्ष खण्ड को `140.53 करोड़ का धन आवंटन (9/9/2015) प्राप्त हुआ था। उक्त धन आवंटन के सापेक्ष खण्ड द्वारा `139.80 करोड़ का व्यय 9/2015 तक भारित कया गया था और अवशेष धनरा श `0.73 करोड़ को सम र्पत न कर निक्षेप मद भाग-III मे अवरुद्ध रखा गया। जो वत्तीय नियमो एवं शासनादेश के प्रावधानों का साफ साफ उल्लघन है।

इस ओर इं गत कये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क पुल का निर्माण कार्य डपॉज़िट मद मे कया जा रहा हैं कार्यालय को धनावटन डपॉज़िट मद मे प्राप्त होता हैं जिस कारण धनरा श निक्षेप मद मे रखी जाती थी। और पुल का निर्माण अपूर्ण होने के कारण अवशेष धनरा श को सम र्पत नही कया गया हैं।

खंड का उत्तर मान्य नही है क्यो क उपरोक्तअधूरे सेतु निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु शासन ने 21 अक्टूबर 2015 को `149.95 करोड़ की पुनः प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की तथाप्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता लोक निर्माण वभाग नई टिहरी 12/2015 को प्रदान की गई तत्पश्चात अधीक्षण अ भयन्ता 8 वृत ने 15/एस ई -08/2015-16 दिनांक 25-01-2016 के द्वारा अनुबंध अन्तराष्ट्रीय बि डंग से joint venture मे यो शन इंजीन्यरिंग कोरपोरेशन द क्षण कोरिया व वीकेएस इन्फ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट ल मटेड के साथ `135.01 करोड़ लागत का गठित कया जिसके लए शासन से प्राप्त धनरा श को परियोजना क्रयान्वयन इकाई को हस्तांतरित कया जाता है अत: पूर्व मे प्राप्त धनरा श को समय पर सम र्पत की जानी चाहिए थी।

अत: वत्तीय नियमो एवं बजट मेनुयल के प्रावधानों के वरुद शेष धनरा श `0.73 करोड़ को सम र्पत न कर निक्षेप मद भाग-III मे अवरुद्ध रखा रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- निर्गत सामग्री हेतु प्रभारित प्रकीर्ण अ ग्रम की धनरा श 7.83 लाख का असमायोजित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व., नई टिहरी के अ भलेखों की नमूना जांच (माह 11/2017) में पाया गया क प्रकीर्ण अ ग्रम पंजिका (वर्ष 2017-18) में अ धशासी अ भयन्ता, टिहरी बांध खण्ड-22, नई टिहरी के नाम 783756/- की धनरा श असमायोजित/लम्बित चली आ रही थी, जो उक्त खण्ड का निर्गत की गई निम्न सामग्री से संबं धत था:-

क्रम सं.	सामग्री का नाम	संख्या	दर	धनरा श
1	मैक्सफाल्ट ड्रम	172	4507.00	775204.00
2	बास्केट (टोकरी)	100	55.00	5500.00
3	ब्रुषपुशस्वी पंग	85	24.00	2040.00
4	बेनिस्टरब्रुश	44	23.00	1012.00
			योग	783756.00

उक्त सामग्री हेतु प्रभारित प्रकीर्ण अ ग्रम 10 वर्षों (माह 11/2007 से) का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी आति थ तक प्रकीर्ण अ ग्रम की धनरा श की वसूली संबं धत खण्ड से नहीं की जा सकी थी और ना ही निर्गत सामग्री को लौटाया गया।

उक्त के सन्दर्भ में इं गत कये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया क समायोजन की कार्यवाही कर ली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आप त्त की पुष्टि होती है क आति थ तक उक्त प्रकीर्ण अ ग्रम धनरा श की वसूली/समायोजन नहीं कया जा सका था।

इस प्रकार निर्गत कये गये सामग्री के लये प्रभारित प्रकीर्ण की धनरा श 7.83 लाख का वगत 10 वर्षों से असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **3**:- अवरुद्ध अवशेष प्रतिकर धनरा श ` 1.48 लाख।

वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड को डोबरा भ लडयाना मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कसानो के क्षतिग्रस्त खेतो का एवं मलवा सफाई पेड़ो का प्रतिकर के भुगतान हेतु वर्ष 2013-14 मे कुल ` 1.91 लाखप्राप्त हुई थी। इस धनरा श का व्यय अनुदान संख्या 30 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क -आयजोनागत 800 अन्य व्यय निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था। लेखा अ भलखो मे आगे यह पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त रा श कोनिक्षेप मद भाग-III मे रख दी तथा 10/2017 तक मात्र ` 0.43लाख का वतरण कया एवं शेष धनरा श ` 1.48 लाख वर्ष 2013-14 से निक्षेप मद भाग-IIIमेअवरुद्धरखी हैं। इस के साथ साथ यह पाया गया क इस मार्ग को निर्माण खंड, चम्बा को (2/2016) हस्तगत कया जा चुका हैं परंतु प्रतिकर की धनरा श अभी भी खंड द्वारानिर्माण खंड, चम्बा को वतरण हेतु हस्तगत नही की गयी हैं। जो वत्तीय नियमो एवं शासनादेश के प्रावधानों का उल्लघन है

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क यह धनरा श निर्माण खंड, चम्बा से प्राप्त हुई हैं तथा इस खंड मे डी.सी.एल. मे जमा रखी गयी हैं। तथा शेष धनरा श को हस्तगत करने की कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क प्राप्त धनरा श नियमानुसार सी.सी.एल. मे जमा की जानी चाहिए थी तथा मार्ग निर्माण खंड, चम्बा को मार्ग हस्तानानंतरण होने पर शेष धनरा श को अ वलंब निर्माण खंड, चम्बा को हस्तगत कर दी जानी चाहिए थी।

अत: खंड द्वारा प्रतिकर के रूप मे प्राप्त धनरा श ` 1.91 लाख को डी.सी.एल. मे रखने एवं अवशेष धनरा श ` 1.48 लाख को वर्ष 2013-14 से अभी तक अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरणउच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
49/95-96	1	1	
05/96-97	-	3	
72/97-98	-	2	
92/98-99	1	-	
138/99-2000	1	-	
34/01-02	2	1	
12/02-03	3	2	
06/04-05	1	1	
22/05-06	2	1	
06/06-07	4	-	
12/08-09	3,4	-	
71/10-11	2	-	
83/11-12	-	3	
83/12-13	1	1	
63/15-16	1,2,3	1	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री के.एस. असवाल,	अ ध. अ भ.	04/10/14 से अब तक।

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री माता प्रसाद 29/07/16 से 30/09/2017
2. श्री आर.बी. एस. राणा 01/10/2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II